

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,  
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल म0प्र0

क्रमांक 545/ वि.यो./शुजालपुर/ नग्रानि/2020

भोपाल,

दिनांक 27/01/2020

शुजालपुर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि शुजालपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

- 1 आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन
- 2 कलेक्टर शाजापुर, जिला शाजापुर
- 3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास म.प्र.
- 4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शुजालपुर, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

अध्याय-6

शुजालपुर : उपयोग परिक्षेत्रों/उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

6-सा-8

अनु. कं.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	भू-तल अधिकतम कवरेज (प्रतिशत में)	एफ. ए. आर.	उंचाई (मीटर में)	न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में)			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज (मीटर में)
							सामने	पीछे	साईडस्		
59	भूखण्डीय विकास	2.00	6.00	30-60 एकल	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फ्रण्टेज = ले-आउट

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -


अध्याय-6

शुजालपुर : उपयोग परिक्षेत्रों/उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

6-सा-8

अनु. कं.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	भू-तल अधिकतम कवरेज (प्रतिशत में)	एफ. ए. आर.	उंचाई (मीटर में)	न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में)			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज (मीटर में)
							सामने	पीछे	साईड्स		
59	भूखण्डीय विकास	कोई नहीं	6.00	30-60 एकल	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फ्रण्टेज = ले-आउट

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

  
 (स्वतंत्र कुमार सिंह)  
 संचालक  
 नगर तथा ग्राम निवेश  
 म0प्र0, भोपाल